

2021/27

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री गोवर्धन अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र अग्रवाल
जाति अग्रवाल
निवासी 179, पत्थर गली, आवूरोड
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
पंजीयन व मुद्रांक विभाग
उपपंजीयन कार्यालय आवूरोड

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 14 वर्ष 2021

दिनांक हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुवम की तामिल में जारी हुए
08.02.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी पंजीयन व मुद्रांक विभाग उपपंजीयन कार्यालय आवूरोड को दिनांक 14.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सेल डीड नम्बर 2013001191 का पंजीयन किया गया है, जो कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 2004 नियम 57 में लेखा पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी पंजीयन व मुद्रांक विभाग उपपंजीयन कार्यालय आवूरोड को दिनांक 14.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सेल डीड नम्बर 2013001191 का पंजीयन किया गया है, जो कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 2004 नियम 57 में लेखा पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूँकि पंजीयन व मुद्रांक विभाग उपपंजीयन कार्यालय आवूरोड के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर, सिरौही

